

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 27-09-2025

विषय सूची

- » अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज
- » पटाखों पर प्रतिबंध: पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय में संतुलन
- » विश्व पर्यटन दिवस
- » निजी क्षेत्र से कमजोर प्रतिक्रिया के कारण अनुसंधान एवं विकास पर सर्वेक्षण स्थगित
- » भारत में मरुस्थलीकरण और कृषि प्रौद्योगिकी
- » मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल के कुछ भागों में AFSPA का विस्तार किया गया

संक्षिप्त समाचार

- » भारत के महान्यायवादी
- » राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)
- » H3N2 फ्लू
- » मिग -21
- » मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
- » अनुच्छेद 304 (a)
- » राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2024

अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज

समाचारों में

- ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने अंडमान द्वीपसमूह के पास एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस की खोज की है, जो इस क्षेत्र में प्रथम पुष्टि की गई हाइड्रोकार्बन उपस्थिति को दर्शाती है।

अंडमान बेसिन की हाइड्रोकार्बन क्षमता

- हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन (HRAS): AN बेसिन में 371 MMT0E (मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य) की संभावना।
- यह बंगाल-अराकान तलछटी प्रणाली का भाग है।
- भारतीय और बर्मी प्लेटों की टेक्टोनिक सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ ऐसे स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप बनते हैं जो हाइड्रोकार्बन संचयन के लिए अनुकूल होते हैं।
- उत्तर सुमात्रा (इंडोनेशिया) और इरावदी-मार्गुई (म्यांमार) में पूर्ववर्ती गैस खोजें अंडमान में समान संभावनाओं का संकेत देती हैं।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

- ऊर्जा सुरक्षा:** भारत वर्तमान में 88% कच्चे तेल और 50% प्राकृतिक गैस का आयात करता है।
 - प्रमुख LNG आयात स्रोत: कतर, अमेरिका, यूएई।
 - अंडमान की खोज आयात निर्भरता को कम करने में सहायता कर सकती है।
- आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव:** भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 15% तक बढ़ाने के लक्ष्य का समर्थन करता है (वर्तमान में ~6%)। गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की दृष्टि के अनुरूप।
- भू-रणनीतिक लाभ:** अंडमान बेसिन म्यांमार से इंडोनेशिया तक फैले ऊर्जा-समृद्ध गलियारे में स्थित है।
 - भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करता है।

गैस अन्वेषण के लिए सरकारी पहल

- हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP), 2016: अन्वेषण और उत्पादन के लिए

एक समान लाइसेंस; ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (OALP) की शुरुआत।

- राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन:** अपतटीय भंडारों का दोहन करने के लिए बड़ी संख्या में गहरे जल के कुओं की ड्रिलिंग पर केंद्रित।
- राष्ट्रीय डेटा रिपोर्टिंग और राष्ट्रीय सिस्मिक कार्यक्रम:** अन्वेषकों के लिए डेटा एक्सेस को बढ़ावा देना।
- FDI नीति:** प्राकृतिक गैस क्षेत्र में स्वतः मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।

आगे की चुनौतियाँ

- वाणिज्यिक व्यवहार्यता की अभी पुष्टि नहीं हुई है (भंडार का आकार, निष्कर्षण की सरलता, उत्पादन लागत)।
- अंडमान पारिस्थितिकी तंत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता।
- अल्ट्रा-डीपवॉटर ड्रिलिंग की लागत बहुत अधिक है; तकनीक और अवसंरचना की आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण हैं।
- ऊर्जा अन्वेषण बनाम पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक प्रमुख नीति चुनौती होगा।

Source: TH

पटाखों पर प्रतिबंध: पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय में संतुलन

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से माफिया द्वारा अवैध बाजार पर नियंत्रण हो सकता है, जैसा कि बिहार के खनन उद्योग में पहले देखा गया था।

परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय ने “संतुलित दृष्टिकोण” अपनाने की बात कही, ऐसी नीति जो पटाखा उद्योग में आजीविका के अधिकार को स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के साथ सह-अस्तित्व में सुनिश्चित करे, ताकि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

- पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाधान खोजे।
- **हरित पटाखों की अनुमति:** इस बीच, न्यायालय ने उन निर्माताओं को संचालन जारी रखने की अनुमति दी है जिन्हें NEERI और PESO द्वारा हरित पटाखों के उत्पादन के लिए प्रमाणित किया गया है।

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क

- **स्वच्छ वायु का अधिकार:** संविधानिक ढांचा, जैसे M.C. मेहता बनाम भारत संघ (1987) और वीरेन्द्र गौर बनाम हरियाणा राज्य (1995) जैसे ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से, प्रदूषण-मुक्त वातावरण में जीने के अधिकार को अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा मानता है।
 - ▲ यह सार्वभौमिकता सिद्धांत पूरे भारत में समान रूप से पर्यावरण संरक्षण उपायों की मांग करता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी खतरे:** प्रदूषित वायु से श्वसन रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ होती हैं, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों में।
 - ▲ ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता में कमी, तनाव और नींद में बाधा उत्पन्न होती है।
- **संवेदनशील जनसंख्या पर प्रभाव:** स्वास्थ्य प्रभाव असमान रूप से कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं।
 - ▲ गरीब लोग एयर प्यूरीफायर या मौसमी पलायन का व्यय नहीं वहन कर सकते।
 - ▲ यह एक पर्यावरणीय न्याय विरोधाभास उत्पन्न करता है, जहाँ जो लोग स्वयं को बचाने में सबसे कम सक्षम हैं, वे प्रदूषण के सबसे बड़े शिकार बनते हैं।
- **प्रतिबंध के विरोध में तर्क आजीविका:** पटाखा उद्योग (विशेष रूप से शिवकाशी, तमिलनाडु) में लगभग 5 लाख श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं।
 - ▲ प्रतिबंध से श्रमिकों के गरीबी, बाल श्रम या असुरक्षित अनौपचारिक रोजगारों में जाने का खतरा है।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएँ:** दिवाली, शादियाँ, त्योहार और जुलूसों में पटाखों का पारंपरिक उपयोग होता है।

- ▲ पूर्ण प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रश्न उठाता है।
- **आर्थिक समानता:** बड़े, यंत्रीकृत उद्योग हरित पटाखों की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन छोटे इकाइयों के पास संसाधनों की कमी होती है।
 - ▲ इससे बड़े उद्योगों द्वारा बाजार पर एकाधिकार का खतरा बढ़ता है।

न्यायिक और नीतिगत दृष्टिकोण

- **सर्वोच्च न्यायालय (2018, 2021, 2023 के निर्णय):** विषैले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध।
 - ▲ केवल “हरित पटाखों” की अनुमति जिनसे उत्सर्जन कम होता है।
 - ▲ पटाखे फोड़ने का समय सीमित (जैसे दिवाली पर रात 8–10 बजे)।
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):** खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) वाले क्षेत्रों में बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश।
- **MoEFCC और CSIR-NEERI:** कम उत्सर्जन वाले “हरित पटाखों” का विकास किया।

दोनों पक्षों का संतुलन

- **हरित पटाखों की ओर स्थानांतरण:** सरकार हरित पटाखों के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है।
- **लाइसेंसिंग और निगरानी:** विषैले पटाखों की बिक्री पर सख्त निगरानी होनी चाहिए, पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के लिए प्रमाणन आवश्यक हो।
- **कौशल विविधीकरण:** सरकार पटाखा उद्योग के श्रमिकों को नवीकरणीय ऊर्जा, एलईडी, खिलौना निर्माण, पैकेजिंग आदि में पुनः प्रशिक्षण देने को बढ़ावा दे सकती है।
- **वित्तीय सहायता:** MSMEs को नुकसान से बचाने के लिए सॉफ्ट लोन, सब्सिडी और संक्रमण सहायता की व्यवस्था की जा सकती है।

निष्कर्ष

- पटाखों पर प्रतिबंध पर्यावरण बनाम आजीविका की दुविधा को उजागर करता है।

- जहाँ पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संविधानिक दायित्व हैं, वहीं सामाजिक न्याय कमजोर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की मांग करता है।
- एक मध्य मार्ग — हरित पटाखों को बढ़ावा देना, उपयोग को नियंत्रित करना, और वैकल्पिक आजीविका का समर्थन — पर्यावरणीय स्थिरता एवं सामाजिक समानता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

Source: TH

विश्व पर्यटन दिवस

संदर्भ

- भारत ने विश्व पर्यटन दिवस 2025 मनाया, जिसमें सतत पर्यटन को प्रमुखता दी गई और विकसित भारत की दृष्टि को आगे बढ़ाया गया।

परिचय

- विश्व पर्यटन दिवस, प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) की एक पहल है।
- यह 1970 में UNWTO के अधिनियमों को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है और प्रथम बार 1980 में आयोजित किया गया था।
- 2025 का विषय है — “पर्यटन और सतत परिवर्तन।”

भारत के पर्यटन क्षेत्र की स्थिति

- **आर्थिक योगदान:** भारत की अर्थव्यवस्था \$4 ट्रिलियन है, जो 2047 तक \$32 ट्रिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
 - ▲ पर्यटन वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में 5–6% का योगदान देता है।
- **पर्यटक आगमन:** अगस्त 2025 तक भारत में लगभग 56 लाख विदेशी पर्यटक आगमन (FTA) और 303.59 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएँ दर्ज की गईं।
 - ▲ वहीं, इसी अवधि में भारत से बाहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या 84.4 लाख रही।
- **वैश्विक मान्यता:** भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और सांस्कृतिक व प्राकृतिक आकर्षणों की विविधता है।

- **वैश्विक रैंकिंग:** वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है।
- **प्रमुख राज्य और पर्यटन स्थल:** उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में अग्रणी है, ताजमहल और वाराणसी जैसे आकर्षणों के कारण।
 - ▲ ताजमहल भारत का सबसे अधिक देखा जाने वाला ASI टिकट वाला स्मारक बना हुआ है, जिसने 2023 में 61 लाख घरेलू और 6.8 लाख विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया।


पर्यटन क्षेत्र का महत्व

- **GDP वृद्धि:** यात्रा और पर्यटन भारत का सबसे बड़ा सेवा उद्योग है।
 - ▲ इसने 2023–24 में ₹15.73 लाख करोड़ का योगदान दिया, जो कुल अर्थव्यवस्था का 5.22% था।
- **विदेशी मुद्रा:** पर्यटन ने जून 2025 तक ₹51,532 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की।
- **रोजगार:** इसने 3.69 करोड़ प्रत्यक्ष और 4.77 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न किए, जो कुल रोजगार का 13.34% है।
- **धरोहर संरक्षण:** पर्यटन ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, किलों और अन्य धरोहर स्थलों के पुनर्निर्माण एवं रखरखाव को प्रोत्साहित करता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण सुनिश्चित होता है।
- **सॉफ्ट पावर कूटनीति:** पर्यटन भारत की समृद्ध संस्कृति, कला और इतिहास को विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सॉफ्ट पावर कूटनीति का प्रभावशाली साधन बनाता है।

पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियाँ

- **अधिक आउटबाउंड बनाम कम इनबाउंड पर्यटन:** भारत से बाहर जाने वाले पर्यटकों की संख्या आने वाले पर्यटकों की तुलना में कहीं अधिक है, जिससे पर्यटन व्यापार असंतुलन और विदेशी मुद्रा की संभावित हानि होती है।

- **अवसंरचना बाधाएँ:** सीमित अंतिम-मील संपर्क, अपर्याप्त सुविधाएँ और लोकप्रिय स्थलों पर भीड़भाड़ पर्यटक अनुभव की गुणवत्ता को कम करते हैं।
- **पर्यावरणीय क्षरण:** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे हिल स्टेशन और तटीय क्षेत्रों में अधिक पर्यटन से प्रदूषण, आवास हानि एवं संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
- **सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी चिंताएँ:** महिलाओं की सुरक्षा, धोखाधड़ी, स्वच्छता और सफाई की समस्याएँ भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करती हैं तथा विदेशी पर्यटकों को हतोत्साहित करती हैं।
- **मौसमीता:** कई पर्यटन स्थलों पर मौसमी उतार-चढ़ाव होते हैं, जहाँ पीक सीजन में पर्यटकों की संख्या अधिक होती है और ऑफ-सीजन में कम।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा के बावजूद, भारत WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में केवल 39वें स्थान पर है, जो वैश्विक समकक्षों की तुलना में अपार संभावनाओं को दर्शाता है।



उपाय और पहले

- **संपर्क और निवेश को बढ़ाना:** 2025 के बजट में वित्त मंत्री ने राज्यों के साथ साझेदारी में चुनौती मोड के माध्यम से 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की ऐतिहासिक पहल की घोषणा की।
- **स्वदेश दर्शन योजना:** 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय ने देशभर में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने

के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की।

- ₹5,290.30 करोड़ की लागत से 76 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें से 75 परियोजनाएँ भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी हैं।
- **PRASHAD योजना:** पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में तीर्थ स्थलों पर पर्यटक सुविधा, पहुँच, सुरक्षा और सफाई सुधारने के लिए तीर्थ पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक धरोहर संवर्धन अभियान (PRASHAD) शुरू किया।
- **देखो अपना देश पहल:** पर्यटन मंत्रालय ने 2020 में देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'देखो अपना देश' पहल शुरू की।
- **राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (SASCI):** वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने जुलाई 2025 में SASCI योजना शुरू की।
- **वीजा सुधार:** कई देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा की शुरुआत ने भारत आने के लिए वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
 - इसका उद्देश्य अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है।
- **2025-26 के बजट में रोजगार-आधारित वृद्धि को बढ़ावा देने के उपाय:**
 - होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना;
 - राज्यों को पर्यटक सुविधाओं, सफाई और विपणन प्रयासों सहित गंतव्य प्रबंधन की प्रभावशीलता के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन देना;
 - कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ सुव्यवस्थित ई-वीजा सुविधाओं की शुरुआत।

निष्कर्ष

- भारत में विगत कुछ वर्षों में पर्यटन का विकास उल्लेखनीय रहा है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- धरोहर स्थलों से लेकर आधुनिक अवसंरचना तक, भारत के विविध आकर्षण प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
- 'सेवा' और 'अतिथि देवो भव' के मूल्यों पर बल देते

हुए, भारत अपने पर्यटन परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करने एवं स्वयं को एक विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

Source: PIB

निजी क्षेत्र से कमजोर प्रतिक्रिया के कारण अनुसंधान एवं विकास पर सर्वेक्षण स्थगित

संदर्भ

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST) ने निजी अनुसंधान एवं विकास (R&D) कंपनियों की कमजोर प्रतिक्रिया के कारण अपनी नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्लेषण रिपोर्ट के प्रकाशन को स्थगित कर दिया है।
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण आयोजित करता है।
 - अंतिम रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसमें केवल 2021 तक का डेटा शामिल था।

2023 सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- 2020-21 में भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान पर अपने GDP का केवल 0.64% व्यय किया — जो 1996 के बाद सबसे कम है (रक्षा अनुसंधान को छोड़कर)।
- औद्योगिक रूप से विकसित देश जैसे अमेरिका, चीन, जापान, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और जर्मनी अपने GDP का 1.5% से 3.5% तक R&D पर व्यय करते हैं।
- एक अन्य चिंता का विषय है वित्तपोषण का मिश्रण: भारत के R&D व्यय का लगभग 75% सार्वजनिक क्षेत्र से आता है, जबकि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निजी कंपनियाँ प्रमुख योगदानकर्ता होती हैं।

R&D में वित्तपोषण की आवश्यकता

- आर्थिक वृद्धि:** नए उद्योगों को बढ़ावा देता है, उत्पादकता में सुधार करता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है।

- प्रौद्योगिकीय प्रगति:** AI, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नवाचार को सक्षम बनाता है।
- सामाजिक चुनौतियाँ:** गरीबी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों को हल करने में सहायता करता है।
- रोजगार सृजन:** नवाचार रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।
- वैश्विक स्थिति:** भारत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है।
- निवेश आकर्षण:** अनुसंधान-आधारित क्षेत्रों में विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देता है।

कम वित्तपोषण के कारण

- सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत के R&D वित्तपोषण का लगभग 75% सरकार से आता है।
 - विकसित देशों की तुलना में निजी क्षेत्र का योगदान कमजोर है, जहाँ उद्योग R&D निवेश का नेतृत्व करते हैं।
- निजी क्षेत्र के लिए कम प्रोत्साहन:** भारतीय कंपनियाँ दीर्घकालिक नवाचार की बजाय अल्पकालिक लाभ पर अधिक ध्यान देती हैं।
 - R&D की उच्च लागत बनाम अपेक्षाकृत सस्ते तकनीकी आयात के कारण जोखिम लेने की क्षमता सीमित है।
- भारत की आर्थिक संरचना:** भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी सेवा-प्रधान है, जबकि विनिर्माण-प्रधान अर्थव्यवस्थाएँ R&D में अधिक निवेश करती हैं।

कम फंडिंग के प्रभाव

- सीमित अनुसंधान उत्पादन:** स्वदेशी नवाचार की गति धीमी होती है।
- अवसंरचना की कमी:** प्रयोगशालाएँ पुरानी हैं, अनुसंधान सुविधाएँ अपर्याप्त हैं।
- ब्रेन ड्रेन:** प्रतिभाशाली शोधकर्ता बेहतर अवसरों की खोज में विदेश चले जाते हैं।

- **उद्योग-अकादमिक सहयोग की कमी:** नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है।
- **कौशल अंतराल:** उच्च गुणवत्ता वाले शोधकर्ताओं और प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** भारत नवाचार में अग्रणी देशों से पीछे रह जाता है।

सरकारी पहलें

- **अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना:** ₹1 लाख करोड़ की कोष राशि के साथ स्वीकृत, यह योजना निजी क्षेत्र के R&D और डीप-टेक स्टार्टअप्स को सक्रिय करने का लक्ष्य रखती है।
 - ▲ यह दीर्घकालिक, कम या शून्य ब्याज वाले ऋण, इक्विटी निवेश प्रदान करती है और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के माध्यम से एक नया डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स को वित्तपोषित करती है।
- **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन:** 2023-31 के लिए ₹6,003.65 करोड़ आवंटित, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक R&D के माध्यम से क्वांटम तकनीकों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
- **अटल नवाचार मिशन (AIM):** छात्रों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को समर्थन देकर बुनियादी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए।
- **उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन:** अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और उच्च उपज, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-लचीले बीजों के विकास पर केंद्रित, जो कृषि जैव प्रौद्योगिकी में DBT के प्रयासों के अनुरूप है।
- **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM):** सरकार की 'BioE3 नीति' के अनुरूप उच्च प्रदर्शन बायोमैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, बजट में घोषित NMM का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायीकरण को तेज करना है।
- **सीवीड मिशन और लर्न एंड अर्न कार्यक्रम:** महिला उद्यमियों को सशक्त बनाकर आर्थिक समावेशन को समर्थन देते हैं।

आगे की राह

- R&D व्यय में वृद्धि करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ाना आवश्यक है।
- उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अनुसंधान गतिविधियों और उन्हें समर्थन देने वाले वित्त का विस्तार हो सके।

Source: TH

भारत में मरुस्थलीकरण और कृषि प्रौद्योगिकी

संदर्भ

- हाल ही में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUoR) के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी जैव-फॉर्म्युलेशन द्वारा संचालित नवाचारी 'मृदाकरण तकनीक' का उपयोग करके रेगिस्तानी भूमि पर गेहूं की सफल खेती की है।

मरुस्थलीकरण के बारे में

- मरुस्थलीकरण को शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों सहित विभिन्न कारणों से भूमि के क्षरण के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ISRO के स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर के अनुसार, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा क्षरण से प्रभावित है, जिसमें लगभग 25% क्षेत्र मरुस्थलीकरण से ग्रस्त है।

समस्या की व्यापकता

- भारत में लगभग 96.40 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त है (स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, ISRO, 2021)।
- राजस्थान के शुष्क क्षेत्र मरुस्थलीकरण के 23% से अधिक हिस्से में योगदान करते हैं, जिससे यह त्वरित हस्तक्षेप के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्स्थापित करना है (मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भारत का राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम, MoEFCC)।

कृषि तकनीक में प्रगति

- **राजस्थान में मृदाकरण तकनीक:** यह रेगिस्तानी रेत को बहुफलदायक मृदा में बदलने की प्रक्रिया है, जिसमें पॉलिमर और जैव-फॉर्म्युलेशन का उपयोग होता है। इसमें शामिल है:
 - ▲ पर्यावरण-अनुकूल पॉलिमर द्वारा रेतीले कणों को आपस में जोड़ना;
 - ▲ रेतीली मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाना;
 - ▲ स्वदेशी जैव-फॉर्म्युलेशन के माध्यम से सूक्ष्मजीव गतिविधि को प्रोत्साहित करना;
 - ▲ फसल वृद्धि को समर्थन देने वाली मृदा जैसी संरचना बनाना;
 - ▲ विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को कम करना।
- **महाराष्ट्र के बारामती में प्रयोग:** यह AI और सटीक कृषि पर आधारित था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा समर्थन प्राप्त था, जो सिंचाई, कीट नियंत्रण और फसल योजना को अनुकूलित करने के लिए AI-संचालित उपकरणों का उपयोग करता है।
 - ▲ किसानों ने 40% तक उत्पादन वृद्धि की रिपोर्ट दी;
 - ▲ इनपुट लागत और जल उपयोग में कमी आई;
 - ▲ वास्तविक समय डेटा जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में सहायता करता है।

मरुस्थलीकरण से निपटने में अन्य कृषि तकनीकें

- **सटीक कृषि:** ड्रोन, सेंसर और GIS का उपयोग करके मृदा की आर्द्रता और पोषक तत्वों की निगरानी।
- **सूक्ष्म-सिंचाई प्रणाली:** ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से जल अपव्यय और लवणता में कमी।
- **मृदा संरक्षण तकनीकें:** जीरो-टिलेज, कंटूर बंडिंग और मल्लिचंग से मृदा की आर्द्रता बनी रहती है।
- **एग्रोफॉरेस्ट्री:** फसलों के साथ पेड़ों का समावेश कटाव को रोकता है और मृदा में कार्बन संचयन को बढ़ाता है।

- **रिमोट सेंसिंग और उपग्रह निगरानी:** ISRO का मरुस्थलीकरण एटलस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए डेटा प्रदान करता है।
- **जलवायु-स्मार्ट खेती:** सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों (जैसे मिलेट्स) को अपनाना, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पहल के अंतर्गत बढ़ावा दिया गया।
- **प्राकृतिक खेती:** यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से बचती है, मृदा के स्वास्थ्य और जल पारगम्यता को पुनर्स्थापित करती है, और जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा देती है।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए सरकारी पहलें

- **मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा पर राष्ट्रीय कार्य योजना:** यह UNCCD (मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।
- **बॉन चैलेंज प्रतिज्ञा:** 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्स्थापित करना।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है।
- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और ग्रीन इंडिया मिशन:** वनस्पति आवरण को बढ़ाने का लक्ष्य।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
- **सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA):** जलवायु-लचीली खेती को बढ़ावा देता है।
- **प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण कार्यक्रम:** मृदाकरण तकनीक को सक्रिय रूप से प्रचारित और विस्तारित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है:
 - ▲ रेगिस्तान-प्रवण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त भूमि को पुनः प्राप्त करना;
 - ▲ जलवायु-लचीली कृषि को समर्थन देना;
 - ▲ खेती में जल उपयोग को कम करना;
 - ▲ ग्रामीण समुदायों के लिए सतत आजीविका को सक्षम बनाना।

मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल के कुछ भागों में AFSPA का विस्तार किया गया

समाचारों में

- गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ भागों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को आगामी छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है।

AFSPA क्या है?


परिचय:

- सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) एक शक्तिशाली कानून है जिसे सशस्त्र बलों को उग्रवाद-रोधी अभियानों में सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया था।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- धारा 3: राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल किसी क्षेत्र को “अशांत क्षेत्र” घोषित कर सकता है।

Rationale for Imposition



- धारा 4: सशस्त्र बलों को परिसर की तलाशी लेने, बिना वारंट गिरफ्तारी करने और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बल प्रयोग (यहाँ तक कि मृत्यु तक) करने का अधिकार देता है।
- धारा 6: गिरफ्तार व्यक्तियों और जब्त संपत्ति को शीघ्र ही स्थानीय पुलिस को सौंपना अनिवार्य है।
- धारा 7: सशस्त्र बलों को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है—किसी भी कानूनी कार्यवाही की शुरुआत केवल केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही हो सकती है।

आलोचनाएँ

- मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप, जिनमें न्यायेतर हत्याएँ, यातना और गायब होने की घटनाएँ शामिल हैं।
- लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध माना जाता है, जिससे जीवन और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) सीमित होते हैं।
- उग्रवाद से निपटने में सीमित सफलता, प्रायः स्थानीय जनसंख्या में असंतोष को बढ़ावा देने वाला माना जाता है।

समिति की सिफारिशें

- न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति (2005): AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश की, और इसके आवश्यक प्रावधानों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA) में शामिल करने का सुझाव दिया।
- संतोष हेगड़े आयोग (2013): मणिपुर में AFSPA के दुरुपयोग की रिपोर्ट दी, जिसमें कई “मुठभेड़ों” को फर्जी बताया गया।

आगे की राह

- अस्पष्ट प्रावधानों में संशोधन कर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना।
- स्वतंत्र निगरानी के माध्यम से मानवाधिकार उल्लंघनों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना ताकि उग्रवाद के मूल कारणों का समाधान हो सके।
- सुरक्षा आवश्यकताओं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलित ढांचा स्थापित करना।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

भारत के महान्यायवादी

समाचारों में

- वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणि को दो वर्षों के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

भारत के महान्यायवादी के बारे में

- भारत का महान्यायवादी (AGI) भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में उन सभी मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें सरकार पक्षकार होती है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और निश्चित कार्यकाल नहीं होता; वह राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य होना आवश्यक है (अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता, या राष्ट्रपति की राय में कोई प्रख्यात विधिवेत्ता)।
- महान्यायवादी संसद की परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते।

Source: TH

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)

समाचार में

- लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत हिरासत को उचित ठहराया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980

- यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं की रक्षा के लिए निवारक हिरासत की अनुमति देता है।
- यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है और इसे संयमपूर्वक तथा विधिसम्मत रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उचित प्रक्रिया एवं अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
 - ▲ **हिरासत के आधार:** यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ राष्ट्रीय रक्षा, विदेशी संबंध, राज्य की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालती हैं या

तस्करी/आवश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो NSA लागू किया जा सकता है।

- ▲ **प्रक्रिया:** केंद्र या राज्य सरकार द्वारा “वैयक्तिक संतोष” के आधार पर हिरासत आदेश जारी किए जा सकते हैं।
 - हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए, और मामले की समीक्षा के लिए 3 सप्ताह के अंदर एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।
- ▲ **हिरासत की अवधि:** प्रारंभिक रूप से अधिकतम 12 महीने तक, जिसे 12 महीने की अवधि में सरकार की मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है।
- ▲ **सुरक्षा उपाय:** हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है और वह सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है।
 - सरकार को बोर्ड की सिफारिश पर विचार करना होता है और वह आदेश को रद्द या संशोधित कर सकती है।
- ▲ **न्यायिक समीक्षा:** यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

Source: TH

H3N2 फ्लू

समाचार में

- H3N2 फ्लू वायरस ने पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक बड़ी महामारी फैला दी है

H3N2 के बारे में

- यह इन्फ्लुएंजा A वायरस का एक उपप्रकार है, जो मुख्य रूप से 50 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु वालों को प्रभावित करता है।
- यह श्वसन बूंदों और दूषित सतहों के माध्यम से फैलता है, और स्कूलों व वृद्धाश्रम जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों में जोखिम अधिक होता है।
 - ▲ इसके सतही प्रोटीनों में बार-बार होने वाले उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) टीकों को कम प्रभावी बना देते हैं।

- H3N2 संक्रमण के लक्षण सामान्यतः अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, गले में खराश, सिरदर्द, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, थकान, पेट दर्द और कभी-कभी मतली व दस्त जैसे जठरांत्र संबंधी लक्षणों के साथ शुरू होते हैं।
- H3N2 फ्लू का उपचार सामान्यतः घर पर आराम, तरल पदार्थों का सेवन और भाप लेना व गर्म नमक के गरारे जैसे लक्षणात्मक देखभाल से किया जाता है।
 - ▲ एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर लक्षण शुरू होने के 48 घंटे के अंदर विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को दी जा सकती है, जिससे बीमारी की अवधि और जटिलताओं को कम किया जा सके।

Source :LM

मिग -21

संदर्भ

- मिकोयान-गुरेविच (मिग-21) लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना ने सेवामुक्त/डी- कर दिया।

परिचय

- यह देश का प्रथम सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है।
- यह सोवियत मूल का है जिसे 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था।
- **डिज़ाइन:** हल्का, डेल्टा-विंग वाला, अत्यधिक गतिशील, Mach 2 से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम।
- सुपरसोनिक जेट्स 1965 और 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान प्रमुख प्लेटफॉर्म थे।
 - ▲ इस विमान ने 1999 के कारगिल संघर्ष और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इसने भारत को आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण चरणों में एक कम लागत वाला, विश्वसनीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान प्रदान किया।
- **सेवा मुक्त करने की योजना:** भारत ने धीरे-धीरे MiG-21 स्क्वाड्रनों को सेवानिवृत्त किया है, जिन्हें अब LCA तेजस और अन्य आधुनिक जेट्स से प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

Source: TH

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया।

परिचय

- **उद्देश्य:** महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार व आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- **पात्रता:** इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में कम से कम एक महिला लाभार्थी होगी।
- **लाभ:** प्रत्येक लाभार्थी को प्रारंभिक रूप से ₹10,000 की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाएगी, और बाद के चरणों में ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना होगी।
 - ▲ यह सहायता लाभार्थी की पसंद के क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्योगों में उपयोग की जा सकती है।
- **क्रियान्वयन:** यह योजना सामुदायिक आधारित होगी जिसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि उनके प्रयासों को समर्थन मिल सके।
 - ▲ उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों का और अधिक विकास किया जाएगा।

Source: DD

अनुच्छेद 304 (a)

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 की राजस्थान सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें स्थानीय रूप से निर्मित एस्बेस्टस शीट्स और ईंटों पर वैट (मूल्य वर्धित कर) से छूट दी गई थी, इसे संविधान के अनुच्छेद 304(क) के तहत भेदभावपूर्ण पाया गया।

परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राजस्थान की अधिसूचना को अनुच्छेद 304(a) के अंतर्गत भेदभावपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया।

- कराधान का उपयोग स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और अन्य राज्यों से आयातित समान वस्तुओं के बीच भेदभाव के लिए नहीं किया जा सकता।
- संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 304(क) संविधान के भाग XIII (अनुच्छेद 301-307) में आता है, जो भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन से संबंधित है।
- राज्य की विधायिका अन्य राज्यों या संघ क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं पर ऐसा कर लगा सकती है जो उस राज्य में निर्मित या उत्पादित समान वस्तुओं पर लागू होता है।
- यह इस प्रतिबंध के अधीन है कि राज्य आयातित वस्तुओं और स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- कर में अंतर बनाम भेदभाव:** विभेदन स्वीकार्य है यदि:
 - राज्य में समान वस्तुएँ उत्पादित नहीं होतीं।
 - कर का भार स्थानीय और आयातित वस्तुओं पर समान रूप से लागू होता है।
 - भेदभाव तब उत्पन्न होता है जब स्थानीय वस्तुओं को कर में विशेष छूट दी जाती है।
- वैध छूट की अनुमति:** सीमित अवधि के लिए दिए गए कर छूट/प्रोत्साहन, जो शत्रुतापूर्ण तरीके से लागू न हों

और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए हों, वैध माने जाते हैं।

Source: IE

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2024

समाचार में

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में प्रदान किया, जिसमें भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी गई।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार

- इनकी स्थापना 1966 में खान मंत्रालय द्वारा भूविज्ञान एवं खनन के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता देने के लिए की गई थी।
 - 2009 तक इन्हें राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के नाम से जाना जाता था।
- ये देश के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित भूविज्ञान क्षेत्र के सम्मानों में से एक हैं।
- खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, और राष्ट्रीय युवा भूविज्ञानी पुरस्कार।

Source :PIB